



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4401 वर्ष 2026

मोहम्मद अहमद उर्फ सफ़ाउव्वा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार, चंद्र प्रकाश

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 545 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 2(डी)(17)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना - पटुआ, जिला - लखीमपुर खीरी में उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 19.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह अविवादित है कि गैंग चार्ट में केवल एक मामला दर्शाया गया है और उक्त प्रकरण में आवेदक पूर्व से ही जमानत पर है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवेदक ने अपराध करके धन अर्जित किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह वचनबद्धता भी प्रस्तुत की है कि आवेदक किसी भी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो। अतएव यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, किंतु निष्पक्षतापूर्वक स्वीकार किया कि गैंग चार्ट(गिरोह तालिका) में उल्लिखित प्रकरण में आवेदक जमानत पर है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करते हुए अभिलेख का परिशीलन करने पर तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन के आलोक में कि आवेदक विधि के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत निहित दोनों शर्तें पूरी होती हैं।

6. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

7. आवेदक मोहम्मद अहमद उर्फ सफौवा को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 545 वर्ष 2025 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं उतनी ही धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक वैसा कोई अपराध नहीं करेगा जैसा कि उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्षीगण की न्यायालय में उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यतिक्रम की स्थिति में विचारण न्यायालय इस हेतु स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और नियमानुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (क) प्रकरण की सुनवाई पर, (ख) आरोप विरचित करने पर, तथा (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने पर। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति विचारपूर्वक (जानबूझकर) या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस हेतु स्वतंत्र होगा कि वह इस व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

11 जून, 2026

वी.के.एस.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।